<u>नियमावली</u>

01. ट्रस्ट का नाम : **बाबू मुकट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास**

02. ट्रस्ट का पंजीकृत प्रधान कार्यालय का पूरा पता : C-82, गाँधी नगर, मुरादाबाद ।

03. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र : समस्त भारत वर्ष ।

04. सदस्यता के प्रकार : ट्रस्ट के सदस्य 03 प्रकार के होंगे:

(अ) आजीवन सदस्य (आ) संरक्षक सदस्य (इ) साधारण सदस्य

<u>(अ) आजीवन सदस्य</u>

ट्रस्ट को 20,000/- रु० देने वाला व्यक्ति कार्यकारिणी की स्वीकृति पर ट्रस्ट का आजीवन सदस्य बन सकेगा ।

<u>(आ) संरक्षक सदस्य</u>

ट्रस्ट को 18,000/- रु० देने वाला व्यक्ति कार्यकारिणी की स्वीकृति पर ट्रस्ट का संरक्षक सदस्य बन सकेगा ।

<u>(इ) साधारण सदस्य</u>

ट्रस्ट को 15,000/- रु० देने वाला व्यक्ति कार्यकारिणी की स्वीकृति पर ट्रस्ट का साधारण सदस्य बन सकेगा ।

संरक्षक सदस्य एवं साधारण सदस्य की कार्यावधि तीन वर्ष के लिये होगी । तीन वर्ष के बाद यदि सदस्य अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवाना चाहता है तो अध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

05. ट्रस्टियों की संख्या : उपरोक्त ट्रस्ट में 01 ट्रस्टी होंगे और यह अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन के परिवार के सदस्य ही होंगे ।

06. ट्रस्ट सदस्यों की संख्या : उपरोक्त ट्रस्ट में 09 सदस्य होंगे ।

क्र०सं०	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	ट्रस्टी/सदस्य
1.	श्री पवन कुमार जैन पुत्र स्व० श्री मुकट बिहारी लाल जैन	C-82, गाँधी नगर, मुरादाबाद	अध्यक्ष	व्यापार	ट्रस्टी
2.	श्री नमन जैन पुत्र श्री पवन कुमार जैन	C-82, गाँधी नगर, मुरादाबाद	सचिव	नौकरी	आजीवन सदस्य
3.	श्रीमती अलका जैन पत्नी श्री पवन कुमार जैन	C-82, गाँधी नगर, मुरादाबाद	कोषाध्यक्ष	नौकरी	आजीवन सदस्य
4.	श्री नरेश चन्द्र जैन पुत्र स्व० श्री मुकट बिहारी लाल जैन	मौ० साहूकारा, बिलासपुर (रामपुर)	संरक्षक	व्यापार	सदस्य
5.	श्री दिनेश चन्द्र जैन पुत्र स्व० श्री मुकट बिहारी लाल जैन	नया बाज़ार, बहजोई जिला सम्भल	संरक्षक	व्यापार	सदस्य

6.	श्री संजय कुमार जैन पुत्र स्व० श्री मुकट बिहारी लाल जैन	नया बाज़ार, बहजोई जिला सम्भल	संरक्षक	व्यापार	सदस्य
7.	श्री संदीप जैन पुत्र स्व० श्री प्रेम चंद्र जैन	शाहदरा, दिल्ली	उपाध्यक्ष	व्यापार	सदस्य
8.	श्री प्रियांश जैन पुत्र श्री नरेश चन्द्र जैन	मौ० साहूकारा, बिलासपुर (रामपुर)	सदस्य	व्यापार	सदस्य
9.	श्री सम्भव जैन पुत्र श्री दिनेश चन्द्र जैन	नया बाज़ार, बहजोई जिला सम्भल	सदस्य	व्यापार	सदस्य
10.	श्री अभिनय जैन पुत्र श्री संजय कुमार जैन	नया बाज़ार, बहजोई जिला सम्भल	सदस्य	व्यापार	सदस्य

ट्रस्ट में तीन पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव/प्रबंधक एवं कोषाध्यक्ष रहेंगे उपरोक्त तीन पदों पर केवल परिवार के ट्रस्टी सदस्य ही आसीन रहेंगे | इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष, शेष तीन सदस्य संरक्षक एवं तीन सदस्य कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे |

07. ट्रस्ट के अध्यक्ष :(अ) ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन पुत्र स्व० श्री मुकट बिहारी लाल जैन निवासी C-82, गाँधी नगर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश आजीवन रहेंगे उन्हें अपने उतराधिकारी को नामित करने का पूर्ण अधिकार होगा | नामित व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त होंगे जोकि संस्थापक अध्यक्ष को प्राप्त हैं |

(आ) ट्रस्ट का उतराधिकारी अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन द्वारा नामित अपने परिवार का सदस्य ही उतराधिकारी होगा |

08. सदस्यता : भारत वर्ष का निवासी कोई भी स्त्री, पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो, बिना किसी रंग-भेद के ट्रस्ट का सदस्य ट्रस्ट की सहमति से बन सकेगा |

09. सदस्यता से वंचित होना : (अ) सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने पर |

(आ) मृत्यु हो जाने पर |

(इ) यदि कोई सदस्य ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करता है या अपने कार्यों से ट्रस्ट को निरंतर हानि पहुंचाता है तो ट्रस्ट को अधिकार होगा कि अपने निर्णय से उसे ट्रस्ट की सदस्यता से प्रथक कर सकेगा |

(ई) किसी अनैतिक या गम्भीर अपराध में अपराधी प्रमाणित होने पर |

(उ) लगातार 02 वर्ष तक ट्रस्ट की बैठको में भाग न लेने पर उसकी ट्रस्ट की सदस्यता बिना किसी सूचना के स्वयं समाप्त हो जाएगी |

(ऊ) अध्यक्ष/संस्थापक को किसी भी सदस्य की सदस्यता खत्म करने का अधिकार होगा |

10. रिक्त स्थान की पूर्ति : ट्रस्ट में कोई स्थान रिक्त होने की स्थिति में ट्रस्ट की कार्यकारिणी को रिक्त स्थानों पर नवीन सदस्य बहुमत से निर्वाचित करने का अधिकार होगा ।

11. ट्रस्ट की बैठक : (अ) ट्रस्ट की साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 02 बार मुख्य कार्यालय में या भारत के किसी भी नगर या कस्बे में 15 दिन की पूर्व सूचना पर अवश्य होगी ।

(आ) आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष द्वारा यथासमय 15 दिन की पूर्व सूचना पर ट्रस्ट की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।

(इ) बैठक की गणपूर्ति (कोरम) दो तिहाई की मान्य होगी ।

12 आय के साधन : ट्रस्ट का अध्यक्ष या अधिकृत सदस्य, उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किसी भी व्यक्ति संस्था या सरकार से दान या अनुदान ग्रहण कर सकेंगे । ऐसे दान या अनुदान शर्त रहित या शर्त सहित भी हो सकते हैं शर्तें ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए तथा सशर्त दान ट्रस्ट की स्वीकृति से होने चाहिए, कोई भी दानदाता या ट्रस्ट का सदस्य चल अथवा अचल संपत्तियों का दान **बाबू मुकट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास** को दे सकेंगे । चन्दा द्वारा भी धन संग्रह किया जा सकेगा ।

13. धन की सुरक्षा : खाता सयुंक्त रूप से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा व खाते का संचालन अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारीगण के हस्ताक्षर युक्त चेक मान्य होंगे, परन्तु अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे ।

14. आय-व्यय : ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब विधिवत् रखा जायेगा वर्ष के अंत में ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब किसी चार्टड एकाउंटेड या किसी मान्यता प्राप्त ऑडिटर द्वारा प्रेक्षित (ऑडिट) कराया जायेगा । ट्रस्ट के वार्षिक अधिवेशन में बजट तथा ऑडिटर की रिपोर्ट व अन्य सभी विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे । ट्रस्ट का वर्ष वित्तीय वर्ष माना जायेगा ।

15. कार्यकारिणी के कर्तव्य : ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के कार्य संचालन एवं ट्रस्ट के कोष की सुरक्षा व समुचित के लिये समय-समय पर नियम उपनियम बनायें किन्तु ये नियम ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुकूल होने चाहिए ।

16. अध्यक्ष के अधिकार : (अ) उपस्थित ट्रस्ट कमेटी के प्रस्ताव बहुमत से पारित होंगे यदि किसी प्रस्ताव व विरोध में बराबर-बराबर मत हों या बहुमत भी हो तो ऐसे विवादस्पद विषयों पर वर्तमान अध्यक्ष का निर्णय ही मान्य होगा जोकि अंतिम निर्णय माना जायेगा तथा ट्रस्ट की समस्त वितीय एवं प्रबंधकीय शक्तियाँ अध्यक्ष में निहित होगी ।

न्यास पत्र

21,000.00	210.00	20	230.00	800
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री पवन कुमार जैन (वोटर कार्ड)
पुत्र श्री मुकट बिहारी लाल जैन
व्यवसाय अन्य
निवासी स्थायी सी 82 गाधी नगर मुरा0
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/12/2014 समय 1:37PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र कुमार
उप निबन्धक (प्रथम)
मुरादाबाद
16/12/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री पवन कुमार जैन (वोटर कार्ड)
पुत्र श्री मुकट बिहारी लाल जैन
पेशा अन्य
निवासी सी 82 गाधी नगर मुरा0

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा
पुत्र श्री छदम्मी लाल शर्मा
पेशा अन्य
निवासी खुशहालपुरमुरा0
व श्री गौरव ठाकुर
पुत्र श्री वीरपाल सिंह
पेशा अन्य
निवासी राम गंगा बिहार मुरा0
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र कुमार
उप निबन्धक (प्रथम)
मुरादाबाद
16/12/2014

(आ) यह कि अध्यक्ष को नियमों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन या संख्या न्यूनतम व अधिकतम करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(इ) ट्रस्ट में नियुक्त कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करने एवं कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष किसी भी कर्मचारी के कार्य से संतुष्ट न होने पर अथवा अयोग्य होने पर उसे पद से हटा सकता है तथा उसके स्थान पर दूसरा कर्मचारी नियुक्त कर सकता है।

(ई) चालू खर्च के लिये ट्रस्ट के नाम से अलग बचत खाता खोलने का अधिकार है।

(उ) आवास, भोजन, चिकित्सा आदि की सुविधा के लिये आवश्यकतानुसार धन प्राप्त करने का अधिकार।

17. सचिव का अधिकार : ट्रस्ट के प्रबन्धन हेतु सम्पूर्ण व्यवसाय एवं मार्गदर्शन की योजना तैयार कराकर कार्य रूप में परिणित करना।

18. कोषाध्यक्ष का अधिकार : ट्रस्ट के कोष से सम्बंधित सभी प्रकार के दान चंदे, अनुदान, सदस्यता शुल्क आदि प्राप्त करना, वार्षिक आय-व्यय का ऑडिट करना, ट्रस्ट द्वारा पारित बिलों का भुगतान करना संस्था के कोष का अध्यक्ष, सचिव के सहयोग से संचालन करना।

19.संरक्षक/उपाध्यक्ष/ सदस्यों के अधिकार : बैठक के अवसर पर उचित सुझाव एवं परामर्श देना तथा ट्रस्ट के विकास हेतु कार्य करना।

20. संपति का स्वामित्व : किसी भी ट्रस्ट के पदाधिकारी आदि को ट्रस्ट की संपति से व्यक्तिगत लाभ उठाने का अधिकार नही होगा एवं प्रत्येक सदस्य पूर्ण निष्ठा एवं सेवा भावना से ट्रस्ट का कार्य करेंगे।

21. ज्ञापन पत्र में संशोधन : ट्रस्ट के ज्ञापन पत्र में यदि कोई परिवर्तन संशोधन करना अनिवार्य हुआ तो कार्यकारिणी के सदस्यों के बहुमत से पंजीकरण अधिनियम की धारा 12 एवं 12 (ए) के अनुसार होगा।

22. कार्यालय : प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त भारत के किसी भी नगर या कस्बे में शाखा कार्यालय खोले जा सकते हैं, जिससे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। इसके लिये ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक होगा।

23. विघटन : सभी अधिकारीयों की राय से ट्रस्ट की चल व अचल संपत्ति का समायोजन किया जाएगा।

अब मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि उपरोक्त स्मृति पत्र एवं नियमावली आदि के अनुसार उपरोक्त 21,000/- रु० (अंकन इक्कीस हज़ार रूपए) को **बाबू**

न्यासी

Registration No.: 331 Year : 2,014 Book No. : 4

0101 पवन कुमार जैन (वोटर कार्ड)

मुकट बिहारी लाल जैन

सी 82 गाधी नगर मुरा0

अन्य

मुकट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास की संपति घोषित कर दूं (चुनाचे बखुशी, ब रजामंदी) मैं इस लेख द्वारा करार करता हूँ कि उक्त रुपया ट्रस्ट संपति का हुआ व रहेगा जिसमे किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा और उक्त रुपया का प्रबंध संचालन सार्वजानिक जनता के हित के निमित **बाबू मुकट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास** कार्यालय- C-82, गाँधी नगर, मुरादाबाद के ट्रस्टियान द्वारा होगा |

बाबू मुकट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास कार्यालय- C-82, गाँधी नगर, मुरादाबाद के संचालन व प्रबंधन के सम्बन्ध में जो भी नियम उपनियम आवश्यक समझेंगे अध्यक्ष के निर्णय द्वारा बना सकेंगे व ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी अनुदान व अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता कर सकेंगे | अपने जीवन काल तक मैं ही **बाबू मुकट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास** कार्यालय- C-82, गाँधी नगर, मुरादाबाद का संस्थापक/अध्यक्ष होने की वजह से ट्रस्ट के सदस्यों में किसी भी प्रकार का विवाद या विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर किसी भी सदस्य आदि को ट्रस्ट से प्रथक करने का अधिकार होगा | इस प्रकार का मेरा निर्णय अंतिम होगा इसमें किसी भी प्रकार का कोई उज्र किसी को नहीं होगा | **बाबू मुकट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास** के नाम को बदलने (नाम परिवर्तन) का अधिकार ट्रस्ट के सदस्यों व पदाधिकारियों को नहीं होगा यानी की **बाबू मुकट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास** का नाम अपरिवर्तनीय है इसीलिए यह ट्रस्ट के घोषणापत्र की दस्तावेज मालियत 21,000/- रु० (अंकन इक्कीस हज़ार रुपया) लिख दी कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे |

ड्राफ्ट किया : श्री विवेक कुमार एडवोकेट
टाइप किया : श्री सौरभ भरद्वाज

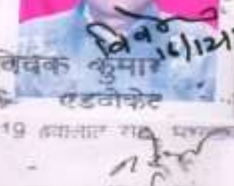

विवेक कुमार
एडवोकेट

Gourav Thakur